

ग्राम कार्य योजना (वी प.पी.)

जल संरक्षणीय और सभी गतिविधियों की परवाना करना लो ग्राम संगठन की "ग्राम सुखाता" को बेहतर बनाने में महत्व प्रदान है। (ग्राम संरक्षण और या इसकी उप-समिति, अस्तर शेषकृत्या रसों/ग्रामी समिति/ग्रामीण संघ/ग्राम संघ से परस्पर जल समाज में अनुबोधित की जानी है। अंडे प्रथा पर द्वारा संगठित संस्थानों प्रदान की जानी है)

।

ग्राम समाज में अनुबोधन की तरीक़—
झी.इन्डर.एस.एम., को परस्पर लिया जाने की तरीक़—

2. ग्राम का नाम एवं उत्तराखण्ड कोड—

ग्राम परवान का नाम—२०२०। २।

द्वावक का नाम—हैंदियाँ।

जिला का नाम—हैंदियाँ।

राज्य का नाम—उत्तराखण्ड।

ग्राम परवान का संख्या और क्रमांक (नाम)

3. ग्राम संबद्धिक की आवाजानी :

संसद्या) गवेंडी कुंडी को और

अपूर्वी करने सहित प्रतिरिदित विभिन्न आवार पर अधिक

तक नाम प्राकाशन पारिवारों को ऊरजायन करने के लिए प्रक.एवं.सी. प्रदान करना

हैम्, ग्राम संसद्धन के लोग, अपनी मेंतों जल आपूर्वी अवधारणाओं प्रदान, प्राप्ति, ग्राम परवान की विस्तृदरी लेते हैं।

इन अपर्वे जल विकास का संरक्षण करने और उनकी रक्षा करने और जल संरक्षण नहीं जारी होते जल की व्यवस्था को नोंगा

और अपर्वे मोटे पानी को बचाएगो।

यह संवर्धन लिया जाना है कि दूसरी लागत का

और जल अपूर्वी के प्रबन्धन में योगदान लिया जायेगा

पानी की गुणवत्ता का प्रबन्धन पर भी एवं.इ.सी./आर.इन्डर.सर, विभाग द्वारा लिया जायेगा

।। ग्राम परवान और या इसकी ३५ समिति ५ अधिकारी दो कुल्यू, यम से /पानी समिति प्रबन्धन करने अंदि का विवरण

4. कोनत सी समिति गाव में जल अपूर्वी योजना की आयोजन करना विवरण प्रबन्धन प्राचलन और यम रखाव का नोट्यू वर्करों

योग उत्पादन और या इसकी ३५ समिति—उत्तराखण्ड

समिति को क्या कहा जाता है—ग्राम परवान लंबं स्ट्रक्चर समिति

ग्रामीण का नाम—श्री/श्रीमती

क्र.सं.	ग्राम की संख्या	सदरमय का नाम	लिंग	आयु
1.	ग्राम की संख्या	ग्राम का नाम	लिंग	आयु
2.	ग्राम की संख्या	ग्राम का नाम	लिंग	आयु
3.	ग्राम की संख्या	ग्राम का नाम	लिंग	आयु
4.	ग्राम की संख्या	ग्राम का नाम	लिंग	आयु
5.	ग्राम की संख्या	ग्राम का नाम	लिंग	आयु
6.	ग्राम की संख्या	ग्राम का नाम	लिंग	आयु
7.	ग्राम की संख्या	ग्राम का नाम	लिंग	आयु
8.	ग्राम की संख्या	ग्राम का नाम	लिंग	आयु
9.	ग्राम की संख्या	ग्राम का नाम	लिंग	आयु
10.	ग्राम की संख्या	ग्राम का नाम	लिंग	आयु
11.	ग्राम की संख्या	ग्राम का नाम	लिंग	आयु
12.	ग्राम की संख्या	ग्राम का नाम	लिंग	आयु
13.	ग्राम की संख्या	ग्राम का नाम	लिंग	आयु
14.	ग्राम की संख्या	ग्राम का नाम	लिंग	आयु
15.	ग्राम की संख्या	ग्राम का नाम	लिंग	आयु

III. समान्य विवरण

6. 2011 की ग्रामीणी के अनुमति	ग्राम परवाने के अनुमति याते गावों के लाल	राज्यीय परावरते विवरणी रिकॉर्ड के अनुसार
		ग्राम परवाने के अनुमति याते गावों के लाल
		ग्राम परवाने के अनुमति याते गावों के लाल

एकीकृत याटरशेड प्रबंधन क्षेत्रफल (आई.डब्लू.एम.पी.)	योग्यवाचक संसाधन विभाग	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एन.आर.एम.) घटक के तहत सभी जल संरक्षण गतिविधियाँ याटरशेड प्रबंधन/आर.डब्लू.एच./कृषि पुनर्जीवन, जल निकायों का निर्माण/वृक्ष आदि।
जल भंडारों की मरम्मत, नदीनीकरण और जीणाद्वारा प्रदूषीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.आई.)	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	बड़े जल भंडारों का जीणाद्वारा याटरशेड से संबंधित कार्य
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय	जल की अधिक खपत वाली विभिन्न कस्तूरी के लिए सूखम-सिंचाई का प्रावधान, एक्सोफर्स से जल की निकासी को कम करने के लिए
क्षतिपूरक बनीकरण कोष प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	वनीकरण, वन पारिस्थितिकी तंत्र का पुनर्जीवन, याटरशेड विकास आदि
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)	कौशल विकास और उचित मंत्रालय	आर.डब्लू.एस. योजनाओं के लिए आवश्यक मानव संसाधनों के लिए कौशल विकास, प्रशिक्षण आदि
समय शिक्षा	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	स्कूलों में पेयजल आपूर्ति का प्रावधान
आकांक्षी जिला कार्यक्रम	नीति आयोग	जिला कलेक्टर के पास उपलब्ध विवेकाधीन नियिकों के तहत जल संरक्षण गतिविधियाँ
जिला खनिज विकास नियिका (टी.एम.एफ.)	राज्य	बड़े पैमाने पर जल संरक्षण गतिविधियाँ
एम.पी.एल.ए.डी.	सांचियाकी और कार्यक्रम कार्यालय मंत्रालय (एम.ओ.एस.पी.आई.)	अंतःग्राम अवसंरचना
एम.एल.ए.एल.ए.डी.	राज्य	अंतःग्राम अवसंरचना
संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदाता/जनजातीय उपयोजना (टी.एस.एस.)	जनजातीय मानवताओं का मंत्रालय और राज्य	अंतःग्राम अवसंरचना
दानदाता/प्रायोजक		

अध्यक्ष का हस्ताक्षर

पी.एच.ई.डी./आर.डब्लू.एस. विभाग के अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर

आई.एस.ए. प्रतिनिधि का नाम और हस्ताक्षर (यदि लागू हो)

संपर्क विवरण

ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्लू.एस.सी./पानी समिति/प्रयोक्ता समूह, आदि का अध्यक्ष :

पंचायत सचिव का नाम और फोन नंबर :

जमीनी तकनीशियन का नाम और फोन नंबर :

पानी की गुणवत्ता की चौकसी सुनिश्चित करने के लिए पांच महिलाओं के नाम और फोन नंबर:

- | | |
|---------------|-------------|
| 1. निरन | ९७९४३७४६९३ |
| 2. पृथ्वी पाल | ९३३५५२५३१५ |
| 3. अन्नीता | ८८७९१६३२४८ |
| 4. २१८८८८ | ६३४६९४४३६ |
| 5. जूसुम | ९९१९६५५१८२२ |

पंप ऑपरेटर का नाम और फोन नंबर :

२८५६८०८१
रामाकृष्णोरी
प्रधान
ग्राम पंचायत सखौरा
विंख्या टडियावाँ (हरदोह)